

भारत सरकार  
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय  
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 600

(दिनांक 04.12.2025 को उत्तर के लिए)

यूपीएससी साक्षात्कारों में भेदभाव

**600. श्रीमती राजाथी :**

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या संघ लोक सेवा आयोग की लिखित परीक्षाओं में सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के समान अंक प्राप्त करने वाले अ.पि.व., अ.जा. और अ.ज.जा. उम्मीदवारों को साक्षात्कार में कम अंक दिए जाते हैं, जिसके कारण ऐसे उम्मीदवारों को निम्न रैंक मिलती है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सरकार आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ भेदभाव से बचने के लिए साक्षात्कार प्रणाली में अधिक पारदर्शिता लाने का विचार रखती है; और
- (ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्तर**

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह)

**(क) से (ग):** संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा अपनाई गई साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण प्रणाली, किसी भी भेदभाव या पूर्वाग्रह से मुक्त है।

यूपीएससी ने सूचित किया है कि किसी भी दिन होने वाले साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से ठीक पहले, साक्षात्कार बोर्ड नियत करते समय उम्मीदवारों का यादृच्छिक चयन किया जाता है। इसके अलावा, उम्मीदवारों के वर्ग और लिखित परीक्षा में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा, साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष नहीं किया जाता है। साथ ही, साक्षात्कार बोर्ड के सदस्यों की पहचान भी उम्मीदवारों को नहीं बताई जाती है। इस प्रकार, साक्षात्कार में किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों के साथ भेदभाव या पक्षपात का प्रश्न ही नहीं उठता है।

इसके अतिरिक्त, पूर्ण पारदर्शिता के लिए, सभी अनुशंसित उम्मीदवारों के अंक (लिखित अंक, साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण अंक, कुल अंक) यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाते हैं।

\*\*\*\*\*